रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2007/श्रावण 9, 1929
No. 948] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2007/SRAVANA 9, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2007

का.आ. 1310(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3घ) के साथ पठित शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि :—

(क) निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादक संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को निर्यात करने को छोड़कर, 2006-07 और 2007-08 के चीनी मौसमों में निर्यात के प्रयोजन के लिए, 30 सितम्बर, 2008 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, गैर-लेवी चीनी का प्रेषण करने के लिए स्वतन्त्र होगा; और

(ख) संबंधित चीनी उत्पादक संलग्न प्रोफार्मा में चीनी के निर्यात के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय को अगले महीने के दस दिनों के भीतर भेजेगा जिसके न भेजे जाने पर चीनी उत्पादक केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली निर्यात सहायता, यदि कोई हो, के लिए पात्र नहीं होगा ।

टिप्पण 1 : चीनी उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यात के लिए प्रेषित मात्रा का वास्तव में निर्यात किया जाता है और यदि प्रेषित किसी मात्रा का प्रेषण के साठ दिनों के भीतर निर्यात नहीं होता है तो वह ऐसे व्यतिक्रम के कारण बताते हुए संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्राधिकारियों और संबंधित राज्य सरकारों के गन्ना आयुक्त/आयुक्त (शर्करा)/निदेशक (शर्करा) को तत्काल सूचित करेगा और इसकी सूचना मुख्य निदेशक (शर्करा) को भी देगा ।

टिप्पण 2 : यदि निर्यात के लिए प्रेषित मात्रा किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त अथवा निर्यात के लिए अनुपयुक्त हो जाती है तो संबंधित चीनी उत्पादक उस चीनी को घरेलू बाजार में उसका निपटान करने से पूर्व मुख्य निदेशक (शर्करा) से पहले अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 3(10)/2007-एस. पी.-1]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

प्रोफार्मा

(चीनी फैक्ट्री के पत्र-शीर्ष पर)

.... को समाप्त मास के लिए चीनी के निर्यात के संबंध में रिपोर्ट

चीनी फैक्टी का नाम :

संयंत्र का संक्षिप्त नाम और कोड संख्या :

खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्यात के लिए :

(टन में)

निर्यातक का नाम	पिछले मास में निर्यात न हो पाई शेष मात्रा	रिपोर्ट गत मास के दौरान निर्यात के लिए प्रेषित मात्रा			निर्यात के अधीन कुल मात्रा (5+2)	रिपोर्टगत मास के दौरान निर्यात की गई मात्रा			मास के अन्त में निर्यात न हो पाई शेष मात्रा (9-6)
		बांड के अधीन	अदा किए गए शुल्क के अधीन	जोड़ (3+4)		बांड के अधीन	अदा किए गए शुल्क के अधीन	जोड़ (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अग्रिम अनुज्ञप्ति स्कीम के अधीन निर्यात के लिए

(टन में)

निर्यातक का नाम	अग्रिम अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख	आयात की गई कच्ची चीनी	निर्यात बाध्यता	पहले पूरी की गई निर्यात बाध्यता	शेष निर्यात बाध्यता (4-5)	मास के दौरान निर्यात के लिए प्रेषित मात्रा	मास के दौरान वास्तव में निर्यात की गई मात्रा	मास के अन्त में निर्यात न हो पाई शेष मात्रा (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)

स्थान : नाम :

तारीख : पदनाम :

टिप्पण : उपर्युक्त सूचना का प्रस्तुत किया जाना चीनी कारखाने द्वारा किए गए निर्यात का सबूत **नहीं** माना जाना चाहिए ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2007

S.O. 1310(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3D) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, read with clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that :—

(a) a producer of sugar by vaccum pan process shall be free to despatch non-levy sugar for the purpose of export in 2006-07 and 2007-08 sugar seasons, that is, up to 30th September, 2008 or till further orders, whichever is earlier/ except for export to United States and member countries of the European Union; and

(b) the concerned producer of sugar shall furnish a monthly report to the Chief Director (Sugar)/ Directorate of Sugar, on export of sugar in the enclosed proforma within ten days of the succeeding month failing which that producer of sugar shall not be eligible for export assistance, if any, provided by the Central Government.

Note 1: The producer of sugar shall ensure that the quantity despatched for export gets physically exported and in the event of any despatched quantity remaining unexported within sixty days of the despatch, he shall immediately inform to the concerned Central Excise and Custom Authorities and the Cane Commissioner, Commissioner (Sugar)/Director (Sugar) of the concerned State Governments under intimation to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, giving reasons for such default.

Note 2: If sugar despatched for export gets damaged or becomes unfit for export for any reason whatsoever, the concerned producer of sugar shall obtain prior approval of the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, before its disposal in the domestic market.

2. This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(10)/2007-SP-I]

S. K SRIVASTAVA, Jt. Secy.

PROFORMA

(On the Letter Head of the Sugar Factory)

Report on export of sugar for the month ending......................

Name of the sugar Factory :

Short Plant Name and Code No. :

For export under OGL :

(In tons)

Name of the exporter	Quantity remaining unexported from the previous month	Quantity despatched for export during the month under report			Total quantity under export (5+2)	Quantity exported during the month under report			Quantity remaining unexported at the end of the month (9–6)
		Under Bond	Against duty paid	Total (3+4)		Under Bond	Against duty paid	Total (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

For export under Advance License Scheme

(In tons)

Name of the exporter	Advance License No. & Date	Raw sugar imported	Export obligation	Export obligation already fulfilled	Balance export obligation (4-5)	Quantity despatched for export during the month	Quantity actually exported during the month	Quantity remaining unexported at the end of the month (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(To be signed by an authorized representative of the sugar factory)

Place : Name :

Date : Designation :

Note : The furnishing of the above information should **Not** be construed as proof of export by the sugar factory.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.